

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़

पीठसीन अधिकारी:- (मांगी लाल) RAS

प्रकरण संख्या:- 443/2024

अमीन खां पुत्र श्री रसीद मोहम्मद, जाति मुसलमान निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:वादी

बनाम

- 1 अभिषेक भाम्भू पुत्र अनिल कुमार भाम्भू जाति जाट नाबालिग जरिये सरपरस्त माता अमना पत्नी अनिल कुमार जाति जाट निवासी डबली बास मौलवी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 2 अशरफ खां पुत्र रसीद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबली बास मौलवी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 3 जुल्फकार पुत्र रसीद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबली बास मौलवी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 4 जाईया खां पुत्र रसीद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबली बास मौलवी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 5 जिकरअली पुत्र रसीद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबली बास मौलवी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 6 रेशमा पुत्री रसीद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबली बास मौलवी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 7 रानी पुत्री रसीद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबली बास मौलवी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 8 शाहनवाज पुत्र जुल्फकार जाति मुसलमान निवासी डबली बास मौलवी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 9 हलीमा पत्नी रसीद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबली बास मौलवी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 10 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरु हमारे बहाजरी श्री भवानी सिंह वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सुरेन्द्र सहारण प्रतिवादी सं. 1 ता 9 व राजपैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर किम दिया जाता है व डिक्री दी जाकर घोषणा की जाती है कि:- चक 6 एमओडी तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 27/131 की तादादी कुल 5.275 हेक्टेयर में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के नाम दर्ज कुल 0.807 हेक्टेयर कृषि


Handwritten signature
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

भूमि के वादी व प्रतिवादिया संख्या 6 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते है व इसी अनुसार उक्त खाता से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5, 7 से 9 का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बाराणी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29-10-2024 को जारी किया गया।

नोट:- डिक्रीत आराजी रहन हो, तो बाद रहन मुक्त के डिक्री का निष्पादन किया जावे।


(मांगी लाल) एस
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ